एक नए प्रत्यक्ष कर प्रणाली की ओर

साभार: लाइव मिंट *दिनांक :* 29 नवंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह जीएसटी दरों में कमी के लिए वित्तीय स्थान बनाकर गरीबों पर कर के बोझ को कम कर सकता है।

भारतीय कर प्रणाली की पूरी जांच करके मरम्मत करने के दूसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने 1961 के आयकर अधिनियम की समीक्षा करने के लिए अरविन्द मोदी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और यह वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत के साथ एक नए अप्रत्यक्ष कर शासन के संक्रमण के मद्देनजर आता है। जैसा कि हम बाद में इस संपादकीय में समझेंगे कि एक नई प्रत्यक्ष कर प्रणाली भविष्य में कैसे जीएसटी दरों को कम करने में मदद कर सकती है।

वर्तमान प्रत्यक्ष कर कानून समस्याओं से भरा पड़ा है। यह बेहद जटिल है, इसमें अस्पष्टताएं हैं, जो कई सवालों का निर्माण करती हैं, जो प्रशासनिक विवेक के लिए संभावनाएं प्रदान करती हैं, जो प्राय: भ्रष्टाचार का एक स्रोत होता है। उच्च अनुपालन की लागत को बढ़ाता है, जो विशेष रूप से कम आय वाले लोगों को नुकसान पहुंचाता हैं और कई ऐसी छूटें होती हैं, जो अर्थव्यवस्था में प्रतिभागियों के फैसले को विकृत करके आबंटन दक्षता को चोट पहुंचाते हैं। एक साफ प्रत्यक्ष कर कोड – जिसमें आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, लाभांश वितरण कर, फ्रिंज लाईन टैक्स और संपदा कर शामिल होंगे, की आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इक्विटी को भी संरक्षित किया जाना चाहिए।

अरविन्द मोदी एक अच्छा विकल्प है समिति का नेतृत्व करने के लिए जो प्रत्यक्ष कर प्रणाली पर एक नए रूप को सामने लायेंगे। ये वर्ष 2009 में तैयार किए गए डायरेक्ट टैक्स कोड के पीछे भी शामिल थे, जिसे दुर्भाग्यवश संसद ने नहीं माना। कुछ दस्तावेजों में सन्निहित सिद्धांतों के प्रस्ताव को दोहराया जाना आवश्यक है।

एकीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं के साथ सभी प्रत्यक्ष करों को एकल कोड के तहत लाया जाना था। संदिग्धता को कम करने के लिए कोड को साधारण भाषा में तैयार किया गया; प्रत्येक उपधारा एक ही बिंदु को व्यक्त करने के लिए एक छोटी वाक्य थी। कोड केवल कानून में सामान्य कर सिद्धांतों को रखने के द्वारा लचीलेपन के उद्देश्य से है, जबकि विवरण आयकर नियमों में पाए गए थे। प्रत्येक केंद्रीय बजट के बाद कर दरों पर अनिश्चितता को कोड में स्वयं कर दरों को निस्तारण कर लिया गया था और इन्हें संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। करों का विनियमन नियामक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा, जिसे पिछले दो दशकों में नए क्षेत्रों से जुड़े नियामकों द्वारा सर्वोत्तम सेवा प्रदान किए गए थे।

एक नयी प्रत्यक्ष कर प्रणाली दो महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थव्यवस्था कार्यों की सेवा कर सकती है। सबसे पहला, बहुत कम भारतीय प्रत्यक्ष करों का भुगतान करते हैं, जिसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। हर 16 मतदाताओं में से केवल एक भारतीय वार्षिक टैक्स रिटर्न भरता है और तथ्य यह है कि लाखों मतदाता अपनी उम्र या लिंग की वजह से आय अर्जित नहीं करते तथ्य के द्वारा संतुलित है इस तथ्य से संतुलित है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला हर व्यक्ति टैक्स का भुगतान नहीं करता है। प्रत्यक्ष करदाताओं और मतदाताओं के बीच इस विषमता ने एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई है, जो कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और अधिक प्रभावी कर प्रणाली बनाने के बजाय काफी स्वाभाविक रूप से वोट खरीदने के बारे में अधिक परवाह करता है।

दूसरा, प्रत्यक्ष कर आधार को तेजी से बढ़ने में असमर्थता, यही एक स्वच्छ प्रत्यक्ष कर प्रणाली हासिल कर सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय राज्यों को अप्रत्यक्ष करों पर बहुत निर्भर करना होगा, जो मूल रूप से प्रतिगामी हैं। जीएसटी जैसे मूल्य वर्धित कर के मामले में भी यह सच है। आर्थिक सुधारों से पहले सरकार द्वारा एकत्र किए गए हर दस रुपये में से लगभग 9 रुपये अप्रत्यक्ष करों से आते थे, जो भारतीय समाजवाद के ढोंग का एक प्रमाण है। हमे 1990 के दशक के कर सुधारों का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच अब तक एक बेहतर संतुलन का निर्माण किया है, लेकिन कुल पूल में प्रत्यक्ष करों के अनुपात में टैक्स सिस्टम को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए आगे बढ़ना है।

एक स्वच्छ प्रत्यक्ष कर कोड तीन प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। सबसे पहला, यह टैक्स स्थिरता, न्यूनतम छूट और आवंटन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। दूसरा, यह आयकर देने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करके भारतीय सामाजिक अनुबंध को बदल सकता है। तीसरा, उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह जीएसटी दरों में कमी के लिए वित्तीय स्थान बनाकर गरीबों पर कर का बोझ कम कर सकता है।

कॉर्पोरेट टैक्स दर को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्तरों पर लाने की प्रतिबद्धता के अलावा, मार्जिनल टैक्स दर को कम करने पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बेहतर प्रत्यक्ष कर प्रणाली के जरिये कर आधार बढ़ाना चाहिए।

संबंधित तथ्य

नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार

- देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक कार्यबल का गठन किया है। कार्यबल अपना कार्य नियमित करने के लिए अपनी कार्य प्रणाली तय करेगा और छह महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।
- इसी साल एक व 2 सितम्बर को आयोजित राजस्व ज्ञान संगम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आयकर कानून 1961 को तैयार किए हुए 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और इसका मसौदा दोबारा तैयार करने की जरूरत है। छह सदस्यीय इस कार्यबल का संयोजक अरविन्द मोदी, सदस्य कानून, सीबीडीटी को बनाया गया है।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविन्द सुब्रमण्यम कार्यबल में स्थायी रूप से विशेष आमंत्रित होंगे। कार्यबल विभिन्न देशों में मौजूद प्रत्यक्ष कर प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली, देश की आर्थिक जरूरतों और इससे जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर विचार कर उपयुक्त प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करेगा।

उद्देश्य-

- इस कानून का उद्देश्य देश के प्रत्यक्ष कर कानून (डायरेक्ट टैक्स लॉ) व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।
- इस टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न देशों की प्रत्यक्ष कर व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, देश की आर्थिक आवश्यकताओं और उसके साथ जुड़े अन्य पक्षों का विश्लेषण करने के पश्चात् एक उचित प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा।
- टास्क फोर्स को छह महीने में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
- इस टास्क फोर्स में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन एक स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत शिक्षाविदों तथा निजी क्षेत्र के कर विशेषज्ञ के साथ-साथ एक सेवानिवृत भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी भी शामिल होगा।
- इस टास्क फोर्स द्वारा निम्नलिखित विषयों पर विचार कर उपयुक्त प्रत्यक्ष कर कानून मसौदा तैयार किया जाएगा-
  - विभिन्न देशों में मौजूद प्रत्यक्ष कर प्रणाली।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली।
  - देश की आर्थिक जरूरतें।
  - इससे जुड़ा कोई अन्य मुद्दा।

आयकर क्या है?

- यह प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है। आयकर कानून को शासित करने वाले उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए हैं।
- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन करना एक संवैधानिक बाध्यता है। 15वें वित्त आयोग की शर्तों को आने वाले समय में अधिसूचित किया जाएगा।

पृष्ठंभूमि-

- संविधान के अनुच्छेद-280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या पहले, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।
- भारत में परम्परा यह है कि पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के पाँच वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
- अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग का गठन 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिये 02 जनवरी, 2013 को गठित किया गया था।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिये वैध है।
- 15वें वित्त आयोग के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लेकर अगले पाँच वर्षों की अवधि को कवर किया जाएगा।

संभावित प्रश्न

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताये की क्या एक सरल प्रत्यक्ष कर प्रणाली नागरिकों में कर अनुपालन को बढ़ाने में मदद करेगी? चर्चा कीजिये। **(200 शब्द)**

Recently the Central Government has constituted a Task Force to draft a new direct tax law. Explaining its objectives and also explain whether a simple direct tax system will help increase tax compliance among citizens? Discuss. **(200 Words)**